

भूमि सुधार उपसमाहता का न्यायालय पाड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-139/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.01.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 12.02.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 12.02.2019 को उपस्थापित करें।</p> <p align="right"><i>Beem</i> 7-1-19</p> <p align="right">भूमि सुधार उपसमाहता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
12.02.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 16.03.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 16.03.2019 को उपस्थापित करें।</p> <p align="right"><i>Beem</i> 12-2-19</p> <p align="right">भूमि सुधार उपसमाहता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
16.03.2019	<p align="center">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक- 155, दिनांक-08.03.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री घासीराम बोदरा, पिता/पति- स्व० बागुन बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम- इचिन्डा (उलीडीह), थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- इचिन्डा (उलीडीह), खाता नं०- 143, प्लॉट नं०- 810, रकवा- 0.10 ए०, क्रेता श्री कृपा सिन्धु पुरती, पिता/पति- स्व० कोलाय पुरती, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- डोमर डीया, थाना- चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि विक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका श्री घासीराम बोदरा, पिता/पति- स्व० बागुन बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम- इचिन्डा (उलीडीह), थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता का जाति- हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि विक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा- 5.21 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन विक्रेता श्री घासीराम बोदरा, पिता/पति- स्व० बागुन बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम- इचिन्डा (उलीडीह), थाना- चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को बेचना चाहता है। उक्त भूमि क्रेता एवं विक्रेता द्वारा तय मूल्य 16,00,000 (सोलह लाख) रुपये अथवा निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर में जो अधिक है निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित</p> <p align="right"><i>Beem</i> 16-3-19</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p> <p align="right">भूमि सुधार उपसमाहता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	